(24)

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि०,

पश्चिम ब्लॉक, नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम सक्रिल, जयपुर
Phone No. : 0141-2740440, 2740553, **Fax No.** : 0141-2740930, 2740440
Email : rsldbpnd@gmail.com, **website** : www.rsldb.nic.in

क्रमांक : फा.आवि/एमुसयो 2017–18/2017–18/12820-911 दिनांक : 29/8/17

सचिव,
प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि.,
.....

विषय : एकमुश्त समझौता योजना 2017–18 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 15.08.2017 के अभिभाषण में "राज्य के सहकारी भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणियों का एकमुश्त समझौता योजना के तहत 50 प्रतिशत ब्याज माफ किये जाने" की घोषणा की गई है, जिसकी क्रियान्विति में राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा प्रस्तावित एकमुश्त समझौता योजना 2017–18 की स्वीकृति विभाग से प्राप्त होने के पश्चात् संलग्न कर आपको भिजवाई जा रही है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि योजना अंगीकार करने के प्रस्ताव की प्रति राज्य बैंक को तत्काल भिजवायें। योजना प्राथमिक बैंक द्वारा अंगीकार करने की दिनांक से लागू मानी जावेगी। योजना के विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,
-sd-
(विजय कुमार शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : फा.आवि/एमुसयो 2017–18/2017–18/12820-911 दिनांक : 29/8/17
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, सहकारिता मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त रजिस्ट्रार(मोनेटरिंग) सहकारी विभाग, राज.जयपुर को उनके पत्र क्रमांक फा. 50(3)सविरा/मोने/एस.ए/एस.ए/ए.मु.स.यो./2015/पार्ट–।।। दिनांक 22.08.2017 के क्रम में।
5. अध्यक्ष/प्रशासक, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक.....
6. मंहा प्रबन्धक, प्रथम/द्वितीय बैंक।
7. उप/सहायक महाप्रबन्धक, विधानसभा एवं जनसंपक्र प्रकोष्ठ/लेखा एवं वित्त/प्रशासन एवं कार्मिक/निरीक्षण एवं सुपरवीजन, बैंक।
8. वरिष्ठ प्रबन्धक, वसूली प्रकोष्ठ बैंक।
9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय ..... को भेजकर लेख है कि पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अपने अधीनस्थ प्राथमिक बैंको से सूचना प्राप्त कर, उनकी जांच उपरान्त इकजाई कर भिजवाने का श्रम करें।
10. सहायक महाप्रबन्धक, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, बैंक को भेजकर लेख है कि उक्त योजना व संबंधित आवश्यक पत्रादि राज्य बैंक की वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
11. प्रबन्ध निदेशक प्रकोष्ठ, बैंक।

प्रबन्ध निदेशक

(25)

अवधिपार ऋणों के चुकारे हेतु एकमुश्त समझौता योजना : वर्ष 2017–18

1. पात्रता :

प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि/अकृषि ऋण जो दिनांक 01.07.2017 को अवधिपार हो चुके हैं, पात्र होंगे परन्तु दिनांक **01.04.2014** के पश्चात् वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋणों के अवधिपार ऋणी योजना के पात्र नहीं होंगे।

2. योजना की अवधि :

अवधिपार ऋणों के चुकारे हेतु एकमुश्त समझौता योजना 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक के लिए लागू रहेगी।

3. एकमुश्त समझौता योजना में समझौता राशि का निर्धारणः–

समझौता राशि के अन्तर्गत अवधिपार ऋणी कृषक की तरफ 1 जुलाई, 2017 को बकाया सम्पूर्ण अवधिपार मूल राशि, सम्पूर्ण बीमा प्रीमियम राशि एवं निर्धारित छूट के पश्चात् देय अवधिपार ब्याज राशि सम्मिलित होगी जिसे ऋणी कृषक से वसूल किया जाना होगा।

4. एकमुश्त समझौता योजना में राहत राशि का निर्धारणः–

योजनान्तर्गत पात्र ऋणियों द्वारा योजना अवधि में अवधिपार ऋण राशि चुकाने पर 1 जुलाई, 2017 के अवधिपार ब्याज की राशि में 50 प्रतिशत छूट देय होगी एवं दण्डनीय ब्याज व वसूली खर्च पर 100 प्रतिशत की छूट योजनान्तर्गत सम्पूर्ण देय समझौता राशि जमा कराने पर देय होगी।

5. आंशिक रूप से अवधिपार राशि जमा कराये जाने पर :–

यदि किसी ऋणी द्वारा उपरोक्त बिन्दु संख्या 4 के अनुसार समझौते राशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत योजना अवधि के अन्तर्गत जमा करा दिया जाता है तो समझौते राशि का शेष 75 प्रतिशत योजना की अन्तिम दिनांक 31.03.2018 तक एकमुश्त या किस्तों में जमा करवाना आवश्यक है। इस प्रकार के मामलों में समझौते की तिथि से बकाया के **अन्तिम रूप से भुगतान की तिथि (अधिकतम दिनांक 31.03.2018) तक 12 प्रतिशत/स्वीकृत ऋण की ब्याज दर, जो भी कम हो, साधारण वार्षिक ब्याज वसूल किया जावेगा** जो कि इस योजना का अंग नहीं होगा अर्थात् इस ब्याज पर कोई छूट देय नहीं होगी। योजनान्तर्गत वांछित राशि दिनांक 31.03.2018 तक जमा कराने में विफल रहने पर ऋणी को कोई राहत नहीं दी जावेगी तथा बैंक समस्त अवधिपार राशि मय तातारीख ब्याज नियमानुसार वसूल कर सकेगा।

6. मृतक अवधिपार ऋणी/ऋणियों के मामलों में प्रावधान :–

योजना के तहत ऐसे ऋणी जिनकी मृत्यु हो गई है ऐसे मामलों में मृत्यु होने की तिथि से योजना की अवधि तक का ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च वसूल नहीं किया जावेगा। मृत्यु की दिनांक से पूर्व ऋणी को अवधिपार ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट के प्रतिशत के आधार पर राहत दी जावेगी। संयुक्त ऋणियों के मामलों में किसी एक या अधिक ऋणियों की मृत्यु होने की स्थिति में कुल ऋण राशि में से मृतक ऋणी/ऋणियों के हिस्से के अनुसार राहत दी जावेगी। ऋणी की पात्रता के निर्धारण से जुड़े विभिन्न प्रावधान योजना अनुसार ही होंगे। मृत्यु प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी होना आवश्यक है। योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2017 को अवधिपार खाते की वास्तविक स्थिति के आधार पर छूट की गणना की जावेगी अर्थात् यदि मृत्यु के बाद एवं दिनांक 01.07.2017 से पूर्व ऋणी के वारीसान द्वारा पूर्ण/आंशिक राशि जमा करा

दी गई है तो उसका लाभ नहीं दिया जावेगा बल्कि 01.07.2017 को अवधिपार खाते की वास्तविक स्थिति ही अंतिम मानी जावेगी।

7. छूट के पश्चात् प्राथमिक बैंक को ऋणी सदस्य से <u>संलग्न निर्धारित प्रपत्र में सहमति पत्र</u> भरवाया जाना अनिवार्य होगा एवं ऋणी को योजना की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करवाकर प्राप्ति रसीद ली जावेगी।

8. <u>अवधिपार ऋणियों हेतु योजना का लाभ उठाने के लिए यह अन्तिम अवसर है</u> यदि ऋण के अवधिपार दोषी कृषकों द्वारा योजना का लाभ नहीं उठाया जाता है तो उनके विरूद्ध सहकारी अधिनियम/नियम के तहत कार्यवाही की जावे तथा ऐसे ऋणियों को भविष्य में सहकारी क्षेत्र में अनुदानित/छूट सम्बन्धित योजना या अन्य कोई योजना से वंचित रखा जावे। ऐसे ऋणियों को "विलफुल डिफॉल्टर" की श्रेणी में चिन्हित किया जाकर कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

9. बैंक के पक्ष में क्रय भूमि के मामलों में योजनान्तर्गत राहत निम्नानुसार दी जा सकेगी:–
   1. बैंक के पक्ष में क्रय की गई भूमि की क्रय दिनांक से समझौता दिनांक तक ऋणी से बकाया सम्पूर्ण राशि पर प्रचलित ब्याज दर से साधारण ब्याज की गणना की जावेगी।
   2. समझौता दिनांक को ऋणी को निम्नानुसार ब्याज में छूट दी जावेगी :–
      भूमि क्रय की दिनांक को अवधिपार ब्याज तथा बिन्दु संख्या 1 पर आँकलित ब्याज के योग का 50 प्रतिशत।
   3. बैंक के पक्ष में क्रय की गई भूमि की क्रय दिनांक को देय दण्डनीय ब्याज व वसूली खर्च की शत प्रतिशत छूट दी जावेगी।

      इन मामलो में उक्त छूट अवधिपार ऋणों के एकमुश्त समझौता योजना 2017–18 में पात्र तथा इच्छुक ऋणियों के लिए ही होगी तथा अवधिपार ऋणों की एकमुश्त समझौता योजना 2017–18 तक की अवधि तक के लिए ही होगी।

10. <u>योजना का भार वहन :–</u>

    एकमुश्त समझौता योजनान्तर्गत प्रदत्त छूट राशि में से 20 प्रतिशत राशि (नियम एवं शर्तों के अधीन) राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा एवं 80 प्रतिशत राशि प्राथमिक बैंक द्वारा वहन की जावेगी। राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा 20 प्रतिशत राशि का वहन तभी किया जावेगा जबकि प्राथमिक भूमि विकास बैंक द्वारा दिनांक 31.03.2018 की अवधिपार वसूली में गत वर्ष की दिनांक 31.03.2017 की तुलना में वृद्धि की हो।

11. प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक स्तर पर एकमुश्त समझौता योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण एवं निर्णय हेतु निम्न समिति अधिकृत होगी:–

1.	अध्यक्ष/प्रशासक (प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक)	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रभारी, क्षे.का., राज्य भूमि विकास बैंक	सदस्य
3.	उप/सहायक रजिस्ट्रार, सम्बन्धित यूनिट	सदस्य
4.	प्रधान कार्यालय का लेखापाल/समकक्ष	सदस्य
5.	सचिव (प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक)	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति द्वारा लिए गये निर्णय की बैठक में समस्त सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी परन्तु समिति के सदस्य संख्या 1, 2 एवं 5 की उपस्थिति में भी योजना के आवेदन पत्रों के निस्तारण एवं निर्णय लिये जा सकते हैं।